

"श्री"

क्यामालम उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा (काङ्ग्रेस)

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी P.A.S.
केटि कैम्प जामिदाना

(1) अपील सं. 03/2020

(1) अपीलान्त

दानाराम पुत्र मूलाराम
जाति जाट निवासी
मूलजी की दागी
(जामिदाना)
रहसील पन्थपहरा
(काङ्ग्रेस)

V/S वेस्पोडे-रत

1. सरपंच ग्राम पंचायत अमरगढ़
2. विरदाराम पुत्र जेसराम
3. विमानाराम पुत्र मूलाराम
4. मंगलाराम पुत्र मूलाराम
5. उहलाराम पुत्र जेसराम
6. चोकाराम पुत्र जेसराम
7. भगवानाराम पुत्र भगाराम
पुत्र जेसराम सभी जामिदार
निवासीपान मूलजी की दागी
8. राजस्थान सरकार जमिने
रहसीलदार, पन्थपहरा



(2) अपील सं. 01/2021

अपीलान्त

दानाराम पुत्र मूलाराम
जाति जाट निवासी
मूलजी की दागी

V/S वेस्पोडे-रत

1. सरपंच ग्राम पंचायत अमरगढ़
2. विरदाराम पुत्र उहलाराम
4. चोकाराम पुत्र भगवानाराम पुत्र
भगाराम पुत्र जेसराम
6. विमानाराम पुत्र मंगलाराम
पुत्र मूलाराम सभी जामिदार
निवासीपान मूलजी की दागी
8. राज. सरकार जमिने रहसीलदार पन्थपहरा
9. शासन प्रशासन पंजाब नेशनल केटि
(ई.ओ.डी.सी.) शासन बालोतरा

(Signature)
नरेश सोनी

पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
बालोतरा, प्रशासन गाँवों के संग अनियाम 2021
कैम्प ग्राम पंचायत पत्त

अपील क्रमांक 75 RLR Feb-1956 विन्डू नामांतरण
सं. 181 दि. 13-05-1972, एवं नामांतरण सं. 102 दि. 13-05-1972
सिसे कायस्थ ग्राम पंचायत अमरनाथ द्वारा जेवाराण अथ
अमरनाथ की जेवारी स्वामिनी सिसे गले द्वारा की।

— १०१ —
आदेश दिनांक 12-10-2024

संक्षेप में अपीलान्त द्वारा तारीख सं. 03/2020
एवं अपील सं. 01/2021 दोनों अपील समान प्रश्न की
दोनों से इनका निर्णय एक साथ में किया जा रहा है।


1. यह कि अपीलान्त के स्वामी जेवाराण पुत्र देवजी
जो अपीलान्त व रेस्पोंडेंट 6, 7 के दादा एवं रेस्पोंडेंट
2 व 5 के पिता का ग्राम जातिमाना के क्षेत्र खसरा
नम्बर 25 रकबा 92.15 बीना अर्द्ध में 1/2 हिस्सा
स्वामिनी व कब्जा दादा की आई हुई थी जो
वर्तमान में तबसूमि राजस्थान ग्राम मूलजी की दाजी के
सं. सं. 84/25 रकबा 46.01 बीना अपीलान्त व रेस्पोंडेंट सं.
2 व 7 के खिलाफ से प्राप्त हुई। जेवारी के स्वामिनी
के पंचायत नामांतरण सं. 181 जारी करते समय
जेवारी के पुत्र देवजी के वारिस उनके पुत्र व रेस्पोंडेंट
व रेस्पोंडेंट सं. 6, 7 के नाम एवं 4 व 5 के नाम जारी
नहीं कर केवल दो पुत्रों धिरदाराण, भगवानाण के नाम



पारित किया गया।

पफकारान अलीखान का त 22 से 25 तक 2 का त का

खानदान तंश वृह राजरा इह प्रकार है:-



2. अलीखान के द्वारा देरी माफ करने हेतु शाहीना-का धारा 5 भारतीय परिशीमा कडिनिषिक्त का कपीत के साथ में ऐसा कर कपीत को प्रकृत करने में हुई देरी के समा करने का निवेदन किया गया।

3. मसौदा सं. 1/2021 नामानाकल्प सं. 182 दि. 13-5-1972

जो सरफंगुम ग्राम पंचायत इमरतई के द्वारा जेराराम व रतनाराम की जमीनी पर दानाराम, मंगलाराम प्रकृताराम व प्रहलदराम, चौकाराम, जगतनारायण उर्फ जगदाम फि जेराराम जी को वंशित रखकर जेराराम के वारिसान एक पुत्र विरदाराम व रतनाराम के वारिसान में आई का जापदा पुत्र विशनाराम के नाम पारित किये गये। नामानाकल्प सं. 182 में मूल गांव जातिमाना के छ.नं. 3/3 अकमा 222 बीप्ता में 1/2 हिस्सा जेराराम व उनके पुत्र रतनाराम, व प्रहलदराम के नाम बराबर छिड़े की



डिप्टी कमिश्नरी जम्मू जिले
 जम्मू, प्रशासनिक भवन, जम्मू
 दिनांक 13/05/2021
 श्री प्रमोद कुमार

वर्षमान में गण कुलजी को दाजी के क्षेत्र क्र. 5913 व 70/3
की जाई हुई है, जेसारास, व रतनारास विवेकपरी स्वर्गनाथ हुआ।
रतनारास लालोलास स्वर्गनाथ हुआ तो जेसारास के प्रथम कोर्डी
के सभी वारिसान व रतनारास के कोर्डी माय-दा कोर्डी
समान न हो बने से द्वितीय कोर्डी के सभी वारिसान के
नाम नामात्रलक्षण सं. 182 को भरकर स्वीकार करना था।


कमीला-2 के द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी के
लिए चारा 5 परिसीमा इमिडिलत का जार्पना-पत्र पेश कर
अपील को-मिलास शुमार करने हुए कमीलाप्रीत इरिेश को
अपारक करने का निवेदन किया गया।

उत्तरदाता विरदास, किशनाप ने इकबाली जवाब पेश कर
खानदान का वंश वृक्ष सजरा सभी बने स्वीकार कर
कमीला-2 की अपील को स्वीकार किया जाया है, के उन्हे
कोई आपत्ति नहीं है।

प्रशासन गांको के संग कर्मिण केस कोर्ट में विदापन
में गलारास, सरपंच गण पंचायत जातिमान श्रीमति शबदेवी
को मजमें हाफ में बुनाया। तहसीलदार, पंचप्रदरा के




द्वारा मजमें हाफ में जांच कर कमीला-2 के द्वारा उस्तु
वस्तुओं को सही होना जाटिर कर अपील को स्वीकार करने
का निवेदन किया गया। उपरिपत्र उत्तरदातागण विरदापन
व में गलारास ने भी आपती सहमति उकर की और
अपने सहमति स्वकय इत्यासाल किले जिनकी पहचान
श्री अनारास अफिकरता द्वारा की गई, चेही स्थिति
में कमीला-2 की अपीलों को स्वीकार करने में किसी
प्रकार की कोई आपत्ति उधीर नहीं होती है।


जय राम अधिकारी
बालोतर, प्रशासन गांको के संग अधिवान 2021
कंस्य ब्राम पंचायत

(5.)

अपीलांत के द्वारा अपील जेवा करने के उई
दोरी के लिए प्रस्तुत चारा 5 भारतीय परिषदा
अधिकार के प्राधान्य परों के स्वीकार कर अपील
मिनाड सुनाए करने में उतरदाता विरुदात, मंगलपुर
की सहायि के आधार पर मिनाड सुनाए की नगीदी

अपीलांत की अपीलों के स्वीकार कर
अपीलाधीन नामा-रकल सं. 181 व 182 दिनांक
13.05.1972 के सरपंच ग्राम पंचायत उमरलाई के
द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के कपास कर तखीला
पचपदरा को पुनः ऐषित कर निर्दिष्ट किता जात है
कि वेखजेराबाम व ख. रतनाराम के वारिदानों के
जांच कर, विधिगत नामांतरकल वाड जांच स्वीकर
किता जावे।



आदेश आज दिनांक 12.10.2021 को उच्चाधन गंधों
के संग आभोक्ति कोर्ट केमप जाकिपाना में मजदें आत
में हुनाता गता।

पैठासीन अधिकारी उमरलाई अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
बालीतरा, प्रशासन गंधों के संग अतिवत 2021
कंपे हान पंचायत